न्यायालय अति0 जिला कलक्टर,(प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/05/2024 रजू दिनांकः 19.03.2024 रजि0 न0 2024/20

अपीलार्थीः– बनाम प्रत्यर्थीः–

श्री संजय कुमार एडवोकेट, कोर्ट, परिसर रामगढ जिला अलवर (राज0)

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::–

दिनांकः– 01.05.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से पत्रांक 69 दिनांक 19.03.2024 द्वारा जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 04.04.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतःलोक सूचना अधिकारी के जवाब के अभाव में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना निशुल्क उपलब्ध कराई जावें। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)